

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3.7.23

पत्रावली प्रस्तुत। वकूलाय उपास्थित।
मूल वाद में प्रतिवादी गण सं 1-8, 10,
21-26, 28, 29, 31, 39 व 40 द्वारा
ज़ारिए आवेदना प्रस्तुत मा. प. CPL
आदेश शा. नियम 11 का स्वीकृत
किया गया। जिसके फलस्वरूप मूल
वाद स्वतः ही निरस्त हो जाता है।
मूल वाद निरस्त होने से धारा 212
राज. कावतकारी आवेदनियम का यह
प्रार्थना पत्र भी स्वतः ही निरस्त हो
जाता है। पत्रावली फंसल नुमाए हो,
जम्बर से कम हो, फाइल अप्रार हो।

मुद्रांक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

18/7/23